उत्तर प्रदेश शासन

युवा कल्याण अनुभाग

संख्या- 1432/पचास-यु0क0-2015-17(बजट)/2014

लखनऊः दिनांक 01 सितम्बर, 2015

कार्यालय-आदेश

राज्य सिविल सेवा से आई0ए0एस0 में प्रोन्नत अधिकारियों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु नियुक्ति अनुभाग-8 के आदेश संख्या-1123/दो-8-2015-33/पी 0 एस0 एल0/2002, दिनांक 10-07-2015 एवं आदेश संख्या-

1563/दो-8-2015-33/पी0एस0एल0/2002, दिनांक 24 अगस्त, 2015 द्वारा श्री सुरेश कुमार सिंह, महानिदेशक, युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को दिनंाक 07.09.2015 से 16.10.2015 तक ।ज्प्;प्डळद्धए केरल में प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया है। तदनुसार उन्हें प्रशिक्षण में प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 4 सितम्बर, 2015 के अपराह्न से कार्यमुक्त किया जाता है।

2- श्री सिंह के उक्त प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु निर्धारित शुल्क रू0 2,25,000/-(रूपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र) जो डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से क्पतमबजवत ळमदमतंसए प्देजपजनजम व िडंदंहमउमदज पद ळवअमतदउमदज चंलंइसम ंज ज्ीपतनअंदंदजींचनतंउण् के पक्ष में देय होगा, के भुगतान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजनेतर आय- व्ययक की अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्ष-''2070-अन्य प्रशासनिक सेवाऐं-800-अन्य व्यय-03-प्रादेशिक विकास दल-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' में से रू0 2,25,000/- की धनराशि अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्ष-''2070-अन्य प्रशासनिक सेवाऐं-800-अन्य व्यय-03-प्रादेशिक विकास दल-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय'' में आदेश संख्या-1417/पचास-यु0क0- 2015- 17 (बजट)/2014, दिनंाक 01 सितम्बर,2015 द्वारा पुनर्विनियोग की गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- तदनुसार उपर्युक्त प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजनेतर आय-व्ययक की अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्ष-''2070-अन्य प्रशासनिक सेवाऐं-800-अन्य व्यय-03-प्रादेशिक विकास दल-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय'' के नामे डाला जाएगा।

शत्रुन्जय कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव।

संख्या- 1432(1)/पचास-यु0क0-2015-17(बजट)/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (लेखा-2), जी0टी0-6 अनुभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,

2. निदेशक, ए0टी0आई0(आई0एम0जी0), केरल/निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मंसूरी/संयुक्त सचिव, कार्मिक, लोक मंत्रालय एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,

3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,

4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को एक अतिरिक्त प्रति सहित,

संलग्नकः यथोक्तः पुर्नविनियोग आदेश,

6. प्रशिक्षण हेतु नामित सम्बन्धित अधिकारी,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. नियुक्ति अनुभाग-1/5/8

8. वित्त(सामान्य) अनुभाग-1, वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2,

9. इरला चेक अनुभाग/इरला वे0प0 प्रकोष्ठ,

10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

ह0/-

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।